समाहरणालय गोपालगंज

(जिला योजना कार्यालय)

आदेश

योजना सं0—....../14—15

सचिव योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2905 दिनांक 11.02.14 एवं संकल्प संख्या 3718 दिनांक 26.08.14 संशोधित मार्गदर्शिका के आलोक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना एवं सचिव पथ निमार्ण विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या 1007 (3) दिनांक 07.02.14 में निहित निदेश एवं प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है।

माननीय विधान मंडल सदस्यों की अनुशंसा पर की जाने वाली विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के पत्रांक ग्रा0वि0/11/वि0यों0—18/1992—1212/ग्रा0वि0, पटना दिनांक 01.02.1999 द्वारा निर्गत समेकित एवं संशोधित मार्गदर्शिका की कंडिका—02 की उप कंडिका 2.1 में प्रावधान है कि "योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यो का निष्पादन विभागीय तौर पर हीं विभिन्न प्रखण्ड प्रशासन, कार्य विभागों, स्थानीय निकायों, विधुत बोर्ड से संबंधित कार्य प्रमण्डल द्वारा कराया जाएगा"।

योजना एवं विकास विभाग के अधीन स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन में छोटे—छोटे कार्य एवं योजनाओं की संख्या अत्यधिक रहने के कारण निविदा के माध्यम से कार्यान्वयन में प्रक्रियाओं का अनुपालन दुष्कर एवं अधिक समय लगने के कारण योजना एवं विकास विभाग द्वारा विभागीय स्तर से कार्यान्वयन की भी आवश्यकता महसूस की गयी। जिसके आलोक में मुख्य सचिव के स्तर पर दिनांक 05.02.14 को आयोजित बैठक में भी विभागीय स्तर से कार्य कराने के विकल्प पर सहमति बनी।

उक्त परिप्रेक्ष्य में **श्री रामसेवक सिंह, मा0स0वि0स0, हथुआ** के द्वारा योजनाओं की अनुशंसा किया गया है। प्राप्त अनुशंसा के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 563 दिनांक 25.08.14 के द्वारा प्राक्कलन की मांग की गयी है। तदनानुसार कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज के द्वारा योजनावार प्राक्कलन तैयार किया गया है तथा उक्त राशि पर तकनिकी स्वीकृति प्रदान की गई है। पत्रांक 1455 दिनांक 15.09.14 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन गोपालगंज के द्वारा प्रदत्त तकनिकी की राशि पर अंचल अधिकारी से जमीन सरकारी होने से संबंधित प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0	प्रखंड का नाम	स्वीकृती योजनाओं का नाम	तकनिकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3	4	5
1	**उचकागॉव**	ग्राम पंचायत राज बलेसरा के ग्राम बलेसरा में मीरगंज से लुहसी जाने वाली प्रधानमंत्री पथ से पुरब जानेवाली नहर पथ का पी0सी0सी0 कार्य।	**14,98,800.00**	**14,98,800.00**

कार्यकारी एजेन्सी का नाम :— कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल, गोपालगंज द्वारा कार्य संपादित किया जायेगा।

<u>कार्यान्वयन की शर्तें</u> :—

1. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संतुष्ट हो लेगें कि स्थल विवादग्रस्त नही है तथा किसी की निजी जमीन योजना स्थल के बीच में नहीं पड़ती है। योजना कार्य के किसी भी वजह से अवरूद्ध होने की स्थिति में सारी जबाबदेही आपकी होगी।
2. प्रधान सचिव,योजना एवं विकास विभाग,बिहार,पटना के पत्रांक 3757 दिनांक 02.09.13 संलग्न पत्र एवं सचिव पथ निर्माण विभाग,बिहार,पटना के संकल्प सं0 1007 दिनांक 07.02.14 के कंड़िका नियम 159 (क) उप कंड़िका (iii) के निम्न प्रकार संशोधित किया गया है। विभागीय पत्रांक 2436 दिनांक 26.06.14 के द्वारा 15.00 लाख रूपये से कम राशि की योजनाओं जिनका कार्यान्वयन योजना एवं विकास विभाग के अधीन गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा किया जा रहा है, को विभागीय रूप से भी कराया जा सकता है। विभागीय स्तर पर कार्य कराने हेतु सामग्रीयों की आपूर्ति स्थानीय स्तर पर कोटेशन प्राप्त कर योजना का कार्यान्वयन निहित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा, तथा मजदुरों की मजदुरी का भुगतान उपस्थिति नामावली (मास्टर रौल) (pwa form NO-21) के माध्यम से किया जाएगा।
3. योजनाओं के प्राक्कलन का पुररीक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

4. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कंडिकावार विशिष्टियों के अनुरूप योजना--कार्य सम्पादित किया जाय।
5. योजना के कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि पाए जाने पर सारी जबाबदेही आपकी होगी।
6. योजना स्थल पर योजना से संबंधित पूर्ण विवरणी अंकित करते हुए योजना पट्ट लगाना सुनिश्चित करें।
7. योजना स्थल पर स्वीकृति प्राक्कलन की एक प्रति रखा जाना आवश्यक है।
8. योजना स्थल पर योजना प्रारंभ करने के पूर्व एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटो/विडियो ग्राफी योजना कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ करने की तिथि तथा पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजा जाए ताकि इन नवसृजित योजनाओं का भविष्य में रख रखाव हेतु संबंधित प्रशासी विभाग को स्थानांतरित किया जा सके।
10. योजना का कार्य तीन माह में निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय।
11. योजना कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित अंचलाधिकारी से भूमि संबंधी स्पष्ट प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लें। यदि योजना स्थल में किसी की रैयती भूमि अवस्थित हो तो भू--दाता के द्वारा उसे महामहिम राज्यपाल के नाम से निबंधित करने के पश्चात् ही योजना कार्य प्रारंभ करें। अन्यथा किसी भी प्रकार अनियमितता की सारी जबावदेही संबंधित कार्य एजेन्सी की होगी।
12. प्रत्येक माह की 2 री तारीख तक निश्चित रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला योजना कार्यालय, गोपालगंज को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करेगें।

ह0
जिला योजना पदाधिकारी,
गोपालगंज।

ज्ञापांक 122 / दिनांक /09/2014

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उक्त मद में प्राप्त आवंटन से योजना का नियमानुसार कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– डी0आई0ओ0 एन0आई0सी0, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

27.9.14

जिला योजना पदाधिकारी,
गोपालगंज।

9

R-02/01/14